न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 84/2024
दायर दिनांक – 08.05.2024

<u>उनवान</u>

1. मधु देवी पति महावीर कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. सीमा देवी पत्नि भागचन्द कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

————(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामकन्या पत्नि रामनिवास जाट नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. इन्द्रा देवी पत्नि रतनलाल जाट नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. घीसा पिता छीतर कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. छोटू पिता छीतर कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. लादू पिता छीतर कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. कैलाश पिता लादू कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. शंकर पिता बन्ना कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. सोकिन्द पिता रामचन्द्र कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
9. कीशन पिता भूरा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
10. कैलाश दत्तक पुत्र हीरा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
11. घीसा पिता काना कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
12. कालूराम दत्तक पुत्र कल्याण कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
13. बनवारी पिता रामकिशन कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
14. लादू पिता काना कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
15. लादूराम पिता रामचन्द्र कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
16. छाउ पुत्री मांगु कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
17. रामेश्वर पिता बालू कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
18. शोकिन्द पिता उदा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
19. सोजी पिता मांगु कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
20. भागचन्द पिता पांचु कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
21. शंकर पिता कैलाश कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
22. श्रवण पिता चन्द्रा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
23. गोपाल पिता रामकिशन कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
24. जगदीश पिता गंगाराम कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
25. बरदीचन्द पिता कैलाश कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
26. चेतन पिता रामलाल कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
27. रामरतन पिता भूरा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
28. मोती देवी पत्नि रोडू कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
29. गोपाल पिता नन्दा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
30. गोरू पिता नन्दा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
31. माधू पिता सवाई कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
32. लादूराम पिता रामचन्द्र कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

—————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता ——— श्री विजय पाराशर
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 अधिवक्ता ——— श्री शिवराज शर्मा

<u>**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात**</u>

<u>**आदेश**</u>

दिनांक – 20.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम बडला पटवार मण्डल बडला भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 387 के आ.न. 1838, 1839 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर तथा आ.न. 1851, 2058, 2059, 2060, 2061 कुल किता 05 कुल रकबा 01. 4800 हैक्टयर भूमि स्थित हैं।** उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाडा) राज

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षी सं. 03 से 32 नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 व 2 की और से श्री शिवराज शर्मा एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त आराजी शामलाती खाते की आराजी होकर प्रार्थीगण के साथ साथ विपक्षी सं. 1 व 2 सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण बिना विभाजन कराये सम्पूर्ण खाते में वर्णित खसरान की सीमा पर सीमा चिन्ह स्थपित करना चाहती है। जिसका अधिकार प्रार्थीगण को विधिक रूप से प्राप्त नही है। लिहाजन प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अध्ययन करने पर न्यायालय द्वारा पाया गया है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एकल खातेदार नहीं है, अर्थात उक्त शामलाती आराजी है, शामलाती आराजी में जब तक विधिवत आराजी का विभाजन नही होता है तब तक केवल प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली जमीन की पत्थरगढी संभव नही है। शेष खातेदारान का भी हित शामलाती जमीन में निहित है। तथा आराजी नं. 1838, 1839 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल बडला भू.अ.नि. बासेडा तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 387 के आ.न. 1838, 1839 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बासेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। **किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।** पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोतक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक **20.08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकंला भीलवाड़ा, राज